भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 148
सोमवार, 18 जुलाई, 2022/27 आषाढ़, 1944 (शक)

सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर

148. श्री सत्यदेव पचौरीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में युवाओं में बेरोजगारी की समस्या बहुत आम है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार, सरकारी/निजी क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर सृजित कर बेरोजगारी उन्मूलन के लिए आवश्यक कदम उठा रही है;

(ग) क्या सरकार की निजी क्षेत्र के उद्योगों को सहायता प्रदान करने की कोई योजना है, ताकि उन्हें होनहार युवाओं को अधिक रोजगार प्रदान करने में सक्षम बनाया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से रोजगार और बेरोजगारी पर आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। उपलब्ध नवीनंतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर 15-29 वर्ष के आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान क्रमशः 17.8%, 17.3%, 15.0% एवं 12.9% थी जो कि वर्ष 15-29 की आयु के युवाओं के मध्य बेरोजगारी दर की कमी की प्रवृति को दर्शाता है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र में पदों का सृजन और भरना एक सतत प्रक्रिया है। सभी मंत्रालय/विभाग रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई करते हैं।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को कार्यान्वयन कर रहा है।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा इसमें विस्तार करने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत दिनांक 08.07.2022 तक 35.94 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित होती हैं। यह दृष्टिकोण, स्वच्छ ऊर्जा और सबके प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्याधिक अवसर पैदा होंगें।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगारों के सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हुई हानि के प्रतिस्थापन हेतु प्रारंभ की गई है। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31-03-2022 थी। दिनांक 10.07.2022 तक, 1.50 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 59.53 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

बजट 2021-22 में 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई हैं। इन सभी प्रयासों से गुणक-प्रभावों के माध्यम से, सामूहिक रूप से रोजगार का सृजन करने तथा मध्यम से लंबी अवधि में उत्पादन को बढ़ावा मिलने की आशा है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) एवं दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए हैं।

*****